

खानपान उत्पादों के ब्रांडों की चयन सूची

(खानपान उत्पाद जैसे पैकेज्ड पेयजल , बिस्कुट, नमकीन, वातित पानी , दूध उत्पाद , आदि)

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक , दक्षिण मध्य रेलवे , मुख्यालय, पहली मंजिल , रेल निलयम, सिकंदराबाद, स्वामित्व सामान डिपो वस्तुओं (पीएडी) के प्रतिष्ठित निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है. जैसे उनके ब्रांड/उत्पादों के पंजीकरण/शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए बिस्कुट , नमकीन, कन्फेक्शनरी, कोल्ड ड्रिंक, केक आदि और पैक किए गए पेयजल बोतलें (पीडीडब्ल्यू) निम्नानुसार बिक्री किया जाना है:

पीएडी मद: लाइसेंसधारी द्वारा ऑपरेट किए गए लघु स्थिर खानपान यूनिटों पीडीडब्ल्यू के माध्यम से

पीडीडब्ल्यू: गैर-अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर. अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर 'रेलनीर' की कम सप्लाई के मामले में , अनुमोदित/शॉर्ट-लिस्टिंग पीडीडब्ल्यू को बेचा जा सकता है.

उपर्युक्त निर्दिष्ट पते पर आवेदन पत्र जमा करने से किसी भी कार्य दिवस पर 11.00 बजे से 17.00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है. 2950/-रु का डीडी/एमआर (जीएसटी सहित) प्रधानकार्यालय वाणिज्यिक शाखा , रेल निलयम , सिकंदराबाद से या दक्षिण मध्य रेलवे के वेबसाइट अर्थात www.scr.Indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड किए गए आवेदन के मामले में प्रमुख वित्त सलाहकार , दक्षिण मध्य रेलवे के पक्ष में आहरित 2950/-रु (जीएसटी सहित) का डिमांड ड्राफ्ट, सिकंदराबाद में भुगतान किया जाए, भरे हुए आवेदन के साथ जमा करना होगा.

पंजीकरण प्रक्रिया 15.02.2022 से खुली रहेगी. इच्छुक पार्टियाँ किसी भी कार्य दिवस के दौरान 11:00 बजे से 17:00 बजे के बीच खानपान अनुभाग , प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक कार्यालय , पहली मंजिल , रेल निलयम , सिकंदराबाद में पात्रता मानदंड और अन्य निबंधनों व शर्तों के अनुसार आवेदन जमा करके अपने उत्पादों को पंजीकृत कर सकते हैं.

शॉर्ट-लिस्टिंग के चयन/अनुमोदन पर, देय पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार होता है:

गैर-वापसीयोग्य पंजीकरण शुल्क प्रत्येक खंड के लिए छोटे स्थिर खानपान यूनिटों के लिए पीएडी उत्पादों के लिए अलग से 3 लाख रु. (जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर) हैं.

गैर-वापसीयोग्य पंजीकरण शुल्क स्थिर/मोबाइल कैटरिंग यूनिटों (गैर-अनिवार्य रेलनीर यूनिट/अनिवार्य यूनिट जहां रेलनीर की कम सप्लाई होती है) के लिए पैकेज्ड पेयजल के लिए 3 लाख -रु. (जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर) हैं.

लघु सूची के चयन/अनुमोदन पर, देय पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार है:

अलग से प्रत्येक सेक्शन के लिए छोटे स्थिर खानपान यूनिटों के लिए पीएडी उत्पादों के लिए गैर-वापसीयोग्य पंजीकरण शुल्क 3 लाख रु. (जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर) है.

आवेदन के साथ पूरी जानकारी उपलब्ध है.

मूल्यांकन और आवेदनों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए व्यापक मानदंड इस प्रकार हैं:

- कंपनी/ब्रांड के पंजीकरण प्रमाण पत्र.
- पिछले दो वर्षों के दौरान आवेदक का कारोबार* (*पृष्ठ सं. 10 देखें) फर्म के खाद्य और पेय पदार्थ की बिक्री से आइटम/पीडीडब्ल्यू और विशिष्ट सेगमेंट से
- वैध लाइसेंस जैसे एफएसएसआई//पीएफए/एफपीओ/बीआईएस/एगमार्क/हेल्थ लाइसेंस, जैसा भी मामला खानपान उत्पादों के ब्रांडों की शॉर्ट-लिस्टिंग

भारत में उत्पादों के निर्माण का अनुभव

सरकार अनुमोदित लैब से परीक्षण रिपोर्ट.

पैन/बिक्री कर/जीएसटीआईएन/उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाण पत्र

ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र

विवरण के लिए www.scr.Indianrailways.gov.in देखें

फॉर्म सं.....

रसीद सं.....

दक्षिण मध्य रेलवे

प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, पहली मंजिल, रेल निलयम, सिकंदराबाद

पीएडी वस्तुओं/पैकेज्ड पेयजल की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए आवेदन
(लाइसेंस द्वारा संचालित स्थिर/मोबाइल यूनिटों की सप्लाई के लिए)

आवेदन का लागत 2800/- रु.

(एमएसएमई उद्यमों के लिए निःशुल्क)

मेसर्स _____

दूरभाष/मोबाइल: _____

ईमेल आईडी: _____

दक्षिण मध्य रेलवे

सामान्य निबंधन व शर्तें:

1. आवेदन निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत किया जाए, जिस पर
" _____ (नाम) खानपान उत्पादों (पीएडी आइटम जैसे बिस्कुट, नमकीन, कन्फेक्शनरी, कोल्ड ड्रिंक, केक आदि)/पैकेज्ड पेयजल की बोतलों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आवेदन" के रूप में चिह्नित किया जाए. प्रत्येक फॉर्म केवल एक प्रकार के सेगमेंट के लिए मान्य है.

2. पैक किए गए खानपान उत्पादों (पीएडी) को दक्षिण मध्य रेलवे (एस.सी. रेलवे) के प्रबंधन के अंतर्गत लाइसेंसधारी द्वारा संचालित लघु स्थैतिक खानपान यूनिटों में बेचने की अनुमति है.
3. पैकेज्ड पेयजल को केवल गैर-अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर बेचने की अनुमति है. फिरभी, यदि अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर 'रेल नीर' की सप्लाई कम है, तो अन्य अनुमोदित/शॉर्टलिस्टेड पीडीडब्ल्यू को बेचा जा सकता है. अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों की सूची आईआरसीटीसी द्वारा 'रेल नीर' की बढ़ी/घटी सप्लाई के अनुसार संशोधित हो सकती है.
4. प्रस्तुत आवेदन में आवेदन के सभी पृष्ठ शामिल होने चाहिए.
5. सभी क्षेत्रों में वांछित जानकारी आवश्यक है, आवेदकों को संबंधित प्रश्न का अनुपालन करना होगा . यदि प्रदान किया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो आवेदक अतिरिक्त शीट संलग्न कर सकता है . आवेदक को सभी फ़ील्ड भरने चाहिए. यदि कोई फ़ील्ड लागू नहीं है तो "लागू नहीं" लिखें.
6. रेलवे प्रशासन बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
7. आवेदकों/फर्मों/उत्पादों की शॉर्ट-लिस्टिंग पर दक्षिण मध्य रेलवे का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
8. यदि आवेदन पत्र वेबसाइट www.scr.Indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया गया है, तो इसे 2800/- रु. के अलग डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा . डिमांड ड्राफ्ट **"प्रमुख वित्त सलाहकार, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद में देय"** के पक्ष में तैयार किया जाना है . एमएसएमई आवेदकों को सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने पर आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है.
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र की कीमत (गैर-वापसीयोग्य) नहीं होने पर उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा . एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा . पंजीकरण शुल्क ब्रांड/उत्पादों की शॉर्ट-लिस्टिंग की मंजूरी के बाद ही देय है.

10. यह प्रक्रिया पीएडी मर्गों के मामले में लाइसेंसधारी द्वारा संचालित लघु स्थैतिक खानपान यूनिटों और पीडीडब्ल्यू के मामले में सभी स्थैतिक/मोबाइल यूनिटों (अनिवार्य 'रेल नीर' यूनिटों को छोड़कर) में अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति देने के लिए है. फिरभी, यदि अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर 'रेल नीर' की सप्लाई कम है, तो अन्य अनुमोदित/शॉर्टलिस्टेड पीडीडब्ल्यू को बेचा जा सकता है.

आवेदक सीधे लाइसेंसधारी से निपटेगा और रेलवे प्रशासन किसी विशिष्ट या न्यूनतम बिक्री मात्रा की प्रत्याभूति नहीं देता है . इसके अलावा आवेदक और लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा.

11. रेलवे प्रशासन किसी विशेष उत्पाद के लिए अनियमितताएं/शिकायतें पाए जाने पर मामले की गंभीरता के आधार पर आवश्यक समझे जाने पर अस्थायी या स्थायी रूप से दी गई अनुमति को ब्लैकलिस्ट करने/डिबार करने/रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है . असंतोषजनक सेवाओं, एफएसएसएआई प्रमाणपत्रों जैसे आवश्यक प्रमाणपत्रों को जमा न करने या आवेदक द्वारा किसी अन्य अनुचित कार्य को देखते हुए शॉर्ट-लिस्टिंग की मंजूरी भी संक्षेप में समाप्त की जा सकती है.

12. रेलवे प्रशासन , जब भी आवश्यक समझा जाए , आवेदक की उत्पादन यूनिटों का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

13. यदि कोई नया उत्पाद शॉर्टलिस्टिंग के लिए मांगा गया है और यदि उत्पाद आवेदक के पहले से ही शॉर्टलिस्टेड सेगमेंट से संबंधित है , तो कोई अलग पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है . फिरभी, उत्पाद से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन जमा करना होगा . अन्यथा, आवेदक के लिए इसे एक नया सेगमेंट मानते हुए नए आवेदन के साथ अलग से पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा.

14. रेलवे प्रशासन अनुमति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है . शॉर्ट लिस्ट को अस्थायी या स्थायी रूप से स्वीकृत/रद्द करें . नीति में किसी परिवर्तन या किसी अन्य कारण से आवश्यक समझा जाए . अनुमति रद्द

करने/शॉर्टलिस्टिंग रद्द करने से पहले , सप्लाईकर्ता को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा.

15. अल्प सूचीकरण अवधि के दौरान , किसी भी समय आवेदक/ सप्लाईकर्ता रेलवे प्रशासन को पूर्व सूचना देकर सप्लाई से पीछे हट सकता है. इस मोड में नोटिस की अवधि एक माह होगी. ऐसे मामलों में, रेलवे प्रशासन दी गई अनुमति को रद्द करने/शॉर्ट लिस्टिंग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

16. किसी भी परिस्थिति में, एक बार भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

17. **मध्यस्थता खंड:**

इस करार से उत्पन्न होने वाले मतभेद या दावे के संबंध में किसी भी विवाद को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा , जिसे महाप्रबंधक , दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा नियुक्त किया जाएगा , जिसमें प्रभारी महाप्रबंधक/अतिरिक्त महाप्रबंधक भी शामिल होंगे. नियुक्त किया जाने वाला मध्यस्थ वह नहीं होगा जिसके पास करार से संबंधित मामले से निपटने का अवसर था . मध्यस्थ की मृत्यु, उपेक्षा या कार्य करने से इनकार करने या इस्तीफा देने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, या किसी भी कारण से अदालत द्वारा उसके पुरस्कार को रद्द किए जाने की स्थिति में, यह महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे के लिए वैध होगा. प्रभारी महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक सहित , उनके स्थान पर एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सभी मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान हैदराबाद होगा. किसी भी विवाद या मतभेद के अस्तित्व या मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत या निरंतरता उसके करार के अनुसार पार्टियों द्वारा उनके संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन को स्थगित या विलंबित नहीं करेगी . जहां मध्यस्थ पुरस्कार पैसे के भुगतान के लिए है , वहां पुरस्कार दिए जाने की तारीख तक किसी भी अवधि के लिए पूरे पैसे या उसके किसी भी हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं होगा . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 के साथ पढ़ा जाए और समय-समय पर संशोधित रेलवे मंत्रालय , रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे."

18. मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जहां से स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है/अनुबंध करार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे मध्यस्थ अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है.

19. सभी विवाद केवल हैदराबाद/सिकंदराबाद अदालतों के क्षेत्राधिकार के शर्त पर हैं.

आवश्यक मानदंड/अनिवार्य दस्तावेज़: (समर्थक दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है , जिसके बिना आवेदन अस्वीकार किया जाएगा)

1. आवेदक को भारत में उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए पंजीकृत किया जाए. फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए.

2. जिस ब्रांड/उत्पाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए लघु सूची मांगी गई है उसे प्रस्तुत किया जाए.

3. आवेदक के पास वैध एफएसएसएआई/पीएफए/एफपीओ/बीआईएस/एगमार्क/हेल्थ लाइसेंस आदि प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए. उत्पादों की बिक्री एफएसएसएआई/एफपीओ/पीएफए/आईएसआई आदि प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के भीतर होनी चाहिए. यदि ऐसे किसी प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो जाती है , तो ऐसे उत्पादों की बिक्री तब तक प्रतिबंधित है जब तक कि

एफएसएसएआई//पीएफए/एफपीओ/बीआईएस/एगमार्क/स्वास्थ्य लाइसेंस आदि प्रमाणपत्र नवीनीकृत न हो जाए।

4. पैकेज्ड पेयजल के लिए , आवेदक एक निर्माता होना चाहिए और ब्रांड मालिक के पास आईएस 14543:2004 या संशोधित विनिर्देश , यदि कोई हो , के अनुसार पीडीडब्ल्यू के निर्माण के लिए वैध बीआईएस प्रमाणीकरण होना चाहिए.

5. जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र.

6. पैन कार्ड.

7. कंपनी/फर्म के पास भारत में उत्पाद बनाने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए.

8. अधिसूचना के सभी पृष्ठ और अनुलग्नक 2 के अनुसार सहायक दस्तावेज़ और अनिवार्य दस्तावेज़ स्व-सत्यापित होने चाहिए.

9. आवेदक के पास अनुबंध-1 में उल्लिखित अनुसार अपेक्षित टर्नओवर होना चाहिए.

10. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी बैलेंस शीट/प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति , जिसमें खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री के साथ-साथ शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए पेश किए गए ब्रांड की बिक्री भी दिखाई गई है.

11. आवेदन को दस्तावेज़ीकरण के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए जाने वाले उत्पाद के खाली पैकेट/रेपर जमा करने चाहिए.

12. आवेदक को एक नोटरीकृत हलफनामा (100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) प्रस्तुत करना चाहिए कि:

ए. कंपनी/ब्रांड/उत्पाद को भारतीय रेलवे/आईआरसीटीसी या किसी सरकारी संगठन के किसी भी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रतिबंधित या वर्ज्य सूची में नहीं डाला गया है.

बी. उत्पादों की बिक्री एफएसएसएआई//पीएफए/एफपीओ/बीआईएस/ अगमार्क/हेल्थ लाइसेंस आदि जैसा भी मामला हो प्रमाणीकरण की वैधता अवधि के भीतर होगी, सी. मैं/हम इस अधिसूचना में विस्तृत रूप से नियमों और शर्तों के उचित पालन और प्रदर्शन पर रेलवे प्रशासन या हमारी फर्म / कंपनी या हमारे कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक के कारण नियोजित किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले सभी दावों और दंडों से रेलवे प्रशासन को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं .

डी. मैं/हम आगे समझते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किसी भी जानकारी के मामले में पैड आइटम/ पीडीडब्ल्यू की संक्षिप्त सूची से पहले या बाद में भी गलत पाया जा रहा है , रेलवे को बिना किसी कारण बताए आपूर्तिकर्ता पंजीकरण को संक्षेप में अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा.

इ. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि सभी पैकेजिंग और लेबलिंग पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भारत सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार एफएसएसएआई/वैधानिक मानदंडों की पुष्टि करते हैं . रेलवे के लिए वजन , दर आदि के मामले में कोई विशेष पैकिंग नहीं की जाएगी. खुले बाजार में लागू वजन

और कीमतें केवल तभी उपलब्ध कराई जाएंगी जब तक कि रेलवे द्वारा विशेष पैकेजिंग के लिए विशेष रूप से अनुरोध न किया गया हो।

एफ. मैंने/हमने उल्लिखित सभी निबंधनों व शर्तों को पढ़ लिया है और रेलवे प्रशासन के निबंधनों व शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

जी. शॉर्टलिस्टिंग पर, मैं/हम पंजीकरण की अवधि के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

एच. मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन पत्र और इसके साथ संलग्न अनुलग्नक और कथनों में दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सही मायने में बताए गए हैं और हम अपने/हमारे नियुक्त वकील के कृत्यों से भी बाध्य होंगे।

13. आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए प्रमाणपत्रों की प्रतियों का मिलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेजों से किया जाएगा।

14. पीएडी मदों के लिए, मदों के अलग-अलग मूल्य निर्धारण की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, रेल यात्रियों को ब्रांडेड पैकेज्ड खाद्य पदार्थ उसी कीमत और वजन पर खरीदने में सक्षम होना चाहिए, जिस पर वे खुले बाजार में कहीं और खरीदते हैं। पीडीडब्ल्यू के लिए, सप्लाई रेलवे बोर्ड द्वारा तय किए गए संस्थागत मूल्य निर्धारण के अनुसार होगी।

पंजीकरण शुल्क/शुल्क:

1. आवेदक को लघु स्थैतिक खानपान यूनिटों (रेलवे प्रबंधन के अंतर्गत) में पीएडी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्पादों के प्रत्येक सेगमेंट के लिए एकमुश्त पंजीकरण शुल्क 3 लाख रु. जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। पीडीडब्ल्यू के मामले में, गैर-अनिवार्य स्थैतिक/मोबाइल कैटरिंग इकाइयों/अनिवार्य यूनिटों में सप्लाई के लिए 3 लाख रुपये (जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर) जहां रेल नीर की कम सप्लाई है। (पीडीडब्ल्यू की सप्लाई स्टेशनों और ट्रेनों में रेल नीर की अनुपलब्धता के शर्त पर है)। पंजीकरण शुल्क 3 साल के लिए वैध है और किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
2. आवेदक/शॉर्टलिस्टेड आपूर्तिकर्ता नागरिक एजेंसियों को भुगतान किए जाने वाले सभी करों के लिए जिम्मेदार होगा। रेलवे पर किसी भी तरह से कोई कर देनदारी नहीं होगी। यदि आवश्यक हो, तो आईटी अधिनियम में संशोधन या

राज्य/केंद्र सरकार द्वारा शासित कानूनों के अंतर्गत लागू किसी अन्य वैधानिक कर के आधार पर करों को संशोधित किया जा सकता है . आवेदक/शॉर्टलिस्ट किए गए सप्लाइकर्ता को जीएसटी और अन्य करों (जैसा लागू हो) का भुगतान सीधे सरकार को करना होगा.

3. डिमांड ड्राफ्ट प्र मुख वित्त सलाहकार , दक्षिण मध्य रेलवे के पक्ष में , सिकंदराबाद में देय होना चाहिए.

4. पंजीकरण 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा.

पंजीकरण और नवीनीकरण की वैधता:

1. शॉर्ट लिस्टिंग आम तौर पर स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल या रेलवे बोर्ड द्वारा कोई नई नीति/दिशानिर्देश लागू होने तक , जो भी पहले हो , वैध होगी . महामारी और किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारणों/स्थितियों (जीसीसी के अनुसार) के मामले में, रेलवे शॉर्ट लिस्टिंग की वैधता की अवधि बढ़ा सकते हैं.

रेलवे शॉर्टलिस्टिंग को नवीनीकृत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है . उसके बाद प्रशासन के विकल्प पर संतोषजनक प्रदर्शन और निर्धारित नि बंधनों व शर्तों को पूरा करने के अधीन शार्ट लिस्ट को नवीनीकृत किया जा सकता है . वैधता अवधि के विस्तार और शॉर्ट लिस्टिंग के नवीनीकरण के मामले में रेलवे का निर्णय अंतिम है . नवीनीकरण के समय आवेदक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई बड़ी हुई पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाए . नवीनीकरण के लिए आवेदन इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक-1 और 2 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों के साथ शॉर्ट लिस्टिंग अवधि की समाप्ति से कम से कम 3 महीने पहले नए सिरे से करना होगा.